न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 09/2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री प्रकाश चन्द सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री गौरव कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार
   मैनेजर मैसर्सः—रामनिवास ट्रेडर्स, हिण्डौन रोड महवा पिन कोड— 321608
2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास
   एफबीओ मेसर्सः— रामनिवास ट्रेडर्स, हिण्डौन रोड महवा पिन कोड— 321608

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

: अप्रार्थी अभियुक्त अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 30.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रकाश चन्द सैनी ने दिनांक 18.07.2023 को अपरान्ह पूर्व 10:45 बजे मैसर्सः— रामनिवास ट्रेडर्स, हिण्डौन रोड महवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री गौरव कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मैनेजर होना बताया। जिसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स नहीं होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता के संस्थान पर प्लास्टिक के कट्टे में एक किलोग्राम पैकिंग वाली 20 पॉली पैक कोकोनट पाउडर **(Coconut Powder Poly Pack)** आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। जिसमें मिलावट का शक होने पर इनमे से चार मूल बल्क पैक में से एक—एक किलोग्राम के चार पॉली पैक कोकोनट पाउडर **(Coconut Powder Poly Pack)** नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिसे विक्रेता ने एक साफ सूखे एवं खाली कागज के डिब्बे में तौलकर दिये। जिसकी कीमत 560 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा कोकोनट पाउडर **(Coconut Powder Poly Pack)** को चार साफ कागज के डिब्बों में अलग—अलग ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG—3563** गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर डिब्बों को चार—चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों [illegible] से सील मोहर कर डिब्बों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) के हस्ताक्षर करवाकर [illegible] सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने [illegible] पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर [illegible]ाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द भाग एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द भाग व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 26.06.2023 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द भाग व फार्म नम्बर संख्या 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.07.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द डिब्बा व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.07.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओं को जमा करवाये व रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर **(Coconut Powder Poly Pack)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1320/एक्ट/2023/1342 दिनांक 31.07.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णयन आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्तगण की तामील प्राप्त हुई। बावजूद तामील अप्रार्थी अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित नहीं आये ना ही जवाब प्रार्थना पत्र उनकी ओर से प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1320/एक्ट/2023/1342 दिनांक 31.07.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर **(Coconut Powder Poly Pack)** के नमूने में **Oil Contents** केवल मात्र 19.20 % ही पाया गया है जो कि कम से कम 44.72 % **by wt** होना चाहिये था। कोकोनट पाउडर के लिये **Acidity of extracted Fat pressed as Lauric Acid 0.69 %** पाया गया है जो कि अधिकतम **0.30 %** होना चाहिये था। इस प्रकार से उक्त खाद्य पदार्थ के नमूने में **Oil Contents** तय मानको से कम एवं **Acidity of extracted Fat** तय मानको से अधिक पाये जाने के कारण अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर **(Coconut Powder Poly Pack)** जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का घोषित किया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा बिना खाद्य पदार्थ लाईसेन्स के अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर **(Coconut Powder Poly Pack)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा [illegible](2)[illegible] का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 51 एफएसएसए 2006 [illegible] अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 09 / 2024 FSSA

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1320 / एक्ट / 2023 / 1342 दिनांक 31.07.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर **(Coconut Powder Poly Pack)** का नमूना जांच रिपोर्ट में अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स के बिना ही अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर **(Coconut Powder Poly Pack)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)(**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ कोकोनट पाउडर **(Coconut Powder Poly Pack)** का खाद्य पदार्थ लाईसेन्स की बिना ही विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 श्री गौरव कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार मैनेजर मैसर्सः–रामनिवास ट्रेडर्स, हिण्डौन रोड महवा एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 2 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास एफबीओ मेसर्सः– रामनिवास ट्रेडर्स, हिण्डौन रोड महवा पर 5,00,000 / –(अक्षरे पांच लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 30.12.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / FSSA/ 2024 / दिनांकः– 30.12.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री गौरव कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार
   मैनेजर मैसर्सः–रामनिवास ट्रेडर्स, हिण्डौन रोड महवा पिन कोड– 321608
4. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रामनिवास
   एफबीओ मेसर्सः– रामनिवास ट्रेडर्स, हिण्डौन रोड महवा पिन कोड– 321608

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:01 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा